भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1240

उत्तर देने की तारीख 31.07.2023

फार्मा सेक्टर में एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम

1240. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई बाज़ार पहुंच पहल को प्रोत्साहित करने हेतु फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के अंतर्गत फार्मा एमएसएमई को प्रदान किए जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार राज्य में उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित फार्मा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय फार्मास्युटिकल क्षेत्र सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नए बाज़ारों तक पहुंच को बढ़ावा देने हेतु बहुत सी स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ नए बाज़ारों तक पहुंच की पहलों को बढ़ावा देने और उत्पादों और सेवाओं की विक्रेयता को बढ़ाने के लिए प्रापण और विपणन स्कीम (पीएमएस), प्रतिस्पर्धात्मकता और उनके उत्पादों की विक्रेयता बढ़ाने हेतु एससी/एसटी उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) के अंतर्गत विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस), विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों के दौरे/सहभागिता की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के साथ-साथ उनको कार्रवाई योग्य बाज़ार-आसूचना प्रदान करना और प्रौद्योगिकी संचार/उन्नयन, संयुक्त उपक्रम की सुविधा, एमएसएमई उत्पादों के लिए बाज़ार में सुधार, विदेशी सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्य देशों में माल और सेवाओं आदि के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के अंतर्गत, अब तक फार्मा के साथ बिहार और सभी क्षेत्रों सहित देश भर में 7,530 एमएसएमई लाभान्वित हुई हैं।

****